

Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 551/18/24]

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष जी, श्री श्रीपाद येसो नाईक की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: -

- (1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/236/2018/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 552/18/24]

- (2) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 14 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2784(अ) जो दिनांक 16 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 मई, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ.1897(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 2785(अ) जो दिनांक 16 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. का.आ.1221(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ. 2794(अ) जो दिनांक 18 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ.2528(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 553/18/24]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (रेल) (2024 का संख्यांक 4) (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

[Placed in Library, See No. LT 554/18/24]

(2) वर्ष 2021-2022 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2024 का संख्यांक 1) राज वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 का अनुपालन, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

[Placed in Library, See No. LT 555/18/24]

(3) मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2024 का संख्यांक 7) (अप्रत्यक्ष कर - माल और सेवा कर) राजस्व विभाग।

[Placed in Library, See No. LT 556/18/24]

(4) मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (रेल) (2024 का संख्यांक 6) रेल प्रचालनों में ऊर्जा प्रबंधन और भारतीय रेल में नवीकरणीय ऊर्जा पहलों संबंधी-निष्पादन लेखापरीक्षा।

[Placed in Library, See No. LT557/18/24]

(5) मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (सिविल) (2024 का संख्यांक 8) (अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां)।

[Placed in Library, See No. LT558/18/24]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS;
AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SURESH GOPI):** Sir,
with your permission, I rise to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

[Placed in Library, See No. LT 559/18/24]

- (2) A copy of the Oil Industry Development Board Staff Provident Fund (Amendment) Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 249(E) in Gazette of India dated 22nd April, 2024 under sub-section (3) of Section 31 of the Oil Industry (Development) Act, 1974.

[Placed in Library, See No. LT 560/18/24]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: -

- (1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 588(अ) जो दिनांक 9 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग?160 के अहमदनगर कायनेटिक चौक से वसुंदे फाटा खंड की 2एलपीएस/4 लेन खंड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (दो) का.आ. 589(अ) जो दिनांक 9 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग?548सी के डिजाइन से मंथा तालुका सीमा से पार्तुर खंड की 2एलपीएस/4 लेन खंड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (तीन) का.आ. 590(अ) जो दिनांक 9 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग?161ए के डिजाइन से मंगरूलपीर-माहान खंड की दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (चार) का.आ. 591(अ) जो दिनांक 9 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग?753एल के

बोधवाड-मुक्ताईनगर-बरहानपुर खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

- (पांच) का.आ. 592(अ) जो दिनांक 9 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग?34 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग?119) के डिजाइन से मेरठ-नजीबाबाद खंड की चार या अधिक लेन खंड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (छह) का.आ. 593(अ) जो दिनांक 9 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग?131जी के डिजाइन से कन्हौली-रामनगर खंड की चार या अधिक लेन खंड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (सात) का.आ. 672(अ) जो दिनांक 13 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग?965 के अलांदी पाल्खी मार्ग खंड की चार या अधिक लेन खंड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (आठ) का.आ. 673(अ) जो दिनांक 13 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग?347बीजी और 753एल के डिजाइन से धनगांव से बोरेगांव खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (नौ) का.आ. 1015(अ) जो दिनांक 4 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग-333बी (मुंगेर में राष्ट्रीय राजमार्ग-33 के साथ जंक्शन से शुरू होने वाले और खगडिया में राष्ट्रीय राजमार्ग?31 के साथ जंक्शन पर समाप्त होने वाले राजमार्ग) के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन के खंड के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (दस) का.आ. 1062(अ) जो दिनांक 5 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग -753एफ के डिजाइन से मानगांव-म्हलसा-दीधी पोर्ट खंड के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (ग्यारह) का.आ. 1063(अ) जो दिनांक 5 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार और झारखंड राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग?98

के डिजाइन से हरिहरगंज-नियर परवा मोड़ खंड की चार या अधिक लेन खंड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बारह) का.आ. 1168(अ) जो दिनांक 8 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग?58 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-334) के डिजाइन से मुजफ्फरनगर-हरिद्वार खंड परियोजना के लिए का.आ. 280(अ) दिनांक 20 जनवरी, 2021 में उल्लिखित प्रयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।

(तेरह) का.आ. 1170(अ) जो दिनांक 8 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग?30 के डिजाइन से चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चौदह) का.आ. 1312(अ) जो दिनांक 13 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरियाणा और पंजाब राज्यों में नये राष्ट्रीय राजमार्ग? 54 के मंडी डाबवली से चौटाला खंड की चार या अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पंद्रह) का.आ. 1314(अ) जो दिनांक 13 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-58ई के डिजाइन से कुंडाल से झाडोल खंड के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सोलह) का.आ. 1315(अ) जो दिनांक 13 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-361 के डिजाइन से चेनेज से लोहा से वारंगा खंड के चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सत्रह) का.आ. 1316(अ) जो दिनांक 13 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-327ई के डिजाइन से गलगलिया से बहादुरगंज खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(अठारह) का.आ. 1332(अ) जो दिनांक 13 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग?753ए के

ताकरखेड भागिले-जालना खंड की चार या अधिक लेन खंड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(उन्नीस) का.आ. 1380(अ) जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में पथकर, प्रचालन, रखरखाव और हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-76 के कोटा बायपास की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बीस) का.आ. 1381(अ) जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-33 के डिजाइन से रांची-जमशेदपुर खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(इक्कीस) का.आ. 1500(अ) जो दिनांक 21 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में पथकर, प्रचालन, रखरखाव और हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के ललितपुर-सागर-लाखनडॉन की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बाईस) का.आ. 1501(अ) जो दिनांक 21 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में पथकर, प्रचालन, रखरखाव और हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के ग्वालियर-झांसी खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तेईस) का.आ. 1502(अ) जो दिनांक 21 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-49 के बिंझाबहल-तेलेईबनी खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चौबीस) का.आ. 1503(अ) जो दिनांक 21 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में आईएनवीआईटी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-49 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-6) के चिचरा-खड़गपुर खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

- (पच्चीस) का.आ. 1504(अ) जो दिनांक 21 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र और उत्तर प्रदेश राज्य में पथकर, प्रचालन, रखरखाव और हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-9 की दिल्ली-हापुड़ चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (छब्बीस) का.आ. 1505(अ) जो दिनांक 21 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र और उत्तर प्रदेश राज्य में पथकर, प्रचालन, रखरखाव और हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर निजामुद्दीन पुल के दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे की 6/8 लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (सत्ताईस) का.आ. 1536(अ) जो दिनांक 22 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में आईएनवीआईटी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के रीवा-कटनी-जबलपुर खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (अट्ठाईस) का.आ. 1537(अ) जो दिनांक 22 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में आईएनवीआईटी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के लखनाडॉन-खवासा खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (उनतीस) का.आ. 1539(अ) जो दिनांक 22 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा असम राज्य में आईएनवीआईटी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के कलझार-पट्टाचारकुची की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तीस) का.आ. 1568(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-19 के इलाहबाद बायपास खंड की चार या अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 561/18/24]

(इकतीस) का.आ. 1569(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा असम राज्य में आईएनवीआईटी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के कछुगांव-राखलडुबी बस जंक्शन खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के राखलडुबी बस जंक्शन-कालीझर खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बत्तीस) का.आ. 1570(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में आईएनवीआईटी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के रीवा-कटनी खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तैंतीस) का.आ. 1571(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में आईएनवीआईटी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के जबलपुर-लखनाडॉन खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चौत्तीस) का.आ. 1572(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में आईएनवीआईटी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-25 के ओरई-बारह खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पैंतीस) का.आ. 1575(अ) जो दिनांक 28 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में आईएनवीआईटी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के चित्रदुर्ग-हुबली खंड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

- (छत्तीस) का.आ. 1576(अ) जो दिनांक 28 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में आईएनवीआईटी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-7) के कटनी-जबलपुर-लखनाडॉन खंड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (सैंतीस) का.आ. 1584(अ) जो दिनांक 28 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के शामलाजी-मोटाचिलोडा-नानाचिलोडा खंड की चार या अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (अड़तीस) का.आ. 2198(अ) जो दिनांक 5 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राजमार्ग ? 135बीजी को राजमार्ग-39 से क्रॉस रोड के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग-135बीजी से तथा लूप-1, रैम्प-1, रैम्प-2 को राष्ट्रीय राजमार्ग-135बीजी से राष्ट्रीय राजमार्ग-30 से जोड़ने के लिए सतना-मैहर खंड की 2/4 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (उनतालीस) का.आ. 2199(अ) जो दिनांक 5 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-561ए के अहमदनगर-घोगरगांव-अहमदनगर/सोलापुर जिला सीमा खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (चालीस) का.आ. 2200(अ) जो दिनांक 5 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-8 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-48) के जयपुर-किशनगढ़ खंड की चार या अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (इकतालीस) का.आ. 2201(अ) जो दिनांक 5 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग-47 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-59) के इंदौर-गुजरात/म.प्र. सीमा खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (बयालीस) का.आ. 2202(अ) जो दिनांक 5 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में बीओटी पथकर आधार पर

राष्ट्रीय राजमार्ग-59 के इंदौर-गुजरात/म.प्र. सीमा खंड की चार या अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तैंतालीस) का.आ. 2203(अ) जो दिनांक 5 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-8ई के तालाजा-महुवा-कागावाडर खंड की चार या अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चवालीस) का.आ. 2204(अ) जो दिनांक 5 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-206 और नया राष्ट्रीय राजमार्ग-69 के बिरूर से शिवमोगा खंड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पैंतालीस) का.आ. 2211(अ) जो दिनांक 6 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-752जी के चांदवाड से मनमाड खंड की 2/4 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(छियालीस) का.आ. 2212(अ) जो दिनांक 6 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-43 विस्तार के केन नदी के पास अमानगंज से पवई बायपास के आरंभ तक के खंड की दो लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सैंतालीस) का.आ. 2233(अ) जो दिनांक 11 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा असम राज्य में डेरगांव कस्बा सहित राष्ट्रीय राजमार्ग-37 (पुराना) के नुमालीगढ़ से जोरहाट खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(अड़तालीस) का.आ. 2234(अ) जो दिनांक 11 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-51 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-8ई) के उना-कोडिनार खंड की चार या अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(उनचास) का.आ. 2239(अ) जो दिनांक 11 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-43 विस्तार के

गुलगंज से कटनी रोड खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पचास) का.आ. 2253(अ) जो दिनांक 12 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-43 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-78) के उमरिया-शहडोल खंड की 2एलपीएस/4 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(इक्यावन) का.आ. 2254(अ) जो दिनांक 12 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-31 के बरही-कोडरमा खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बावन) का.आ. 2371(अ) जो दिनांक 20 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-227 (राष्ट्रीय राजमार्ग-81) के मीनसुरुत्ती से चिदम्बरम खंड की 2 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तिरपन) का.आ. 2372(अ) जो दिनांक 20 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-28ए के पिपराकोठी-मोतिहारी-रक्सौल खंड की 2एलपीएस/4 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चौवन) का.आ. 2489(अ) जो दिनांक 28 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-565 के नागार्जुन सागर बांध से डायुलापल्ली खंड की 2एलपीएस/4 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पचपन) का.आ. 2582(अ) जो दिनांक 4 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-150 के याडगिर बायपास से आंध्र सीमा खंड की 2एलपीएस/4 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(छप्पन) का.आ. 2583(अ) जो दिनांक 4 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-516ई के

बोवडारा-विजयानगरम खंड की दो लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सत्तावन) का.आ. 2792(अ) जो दिनांक 16 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-89 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-58) के अजमेर-नागौर खंड की 2एलपीएस/4 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 562/18/24]

2) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केंद्रीय मोटर यान (दसवां संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 8 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.886(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.899(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केंद्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 5 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.27(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) मोटर यान (तृतीय पक्ष बीमा आधार प्रीमियन और दायित्व) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 5 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.32(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) केंद्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 15 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.38(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) केंद्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 28 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.141(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (छह) केंद्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 6 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.159(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) केंद्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 8 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.163(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) केंद्रीय मोटर यान (छठा संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 11 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.174(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) का.आ. 1306(अ) जो दिनांक 12 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 जून, 1989 की अधिसूचना सं. का.आ.444(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) केंद्रीय मोटर यान (सातवां संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.195(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) केंद्रीय मोटर यान (वाहन स्क्रेपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.212(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) केंद्रीय मोटर यान (आठवां संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 28 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.354(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) केंद्रीय मोटर यान (नौवां संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 16 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.407(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 563/18/24]

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

[Placed in Library, See No. LT 564/18/24]
